

एक

नजर

एटीएम चुराकर उड़ाए सवा लाख

भिलाई, 14 अक्टूबर। भिलाई घर में रखे एटीएम कार्ड को चोरी कर खाते से एक लाख 15 हजार रुपये की चोरी करने वाले अज्ञात आरोपित के खिलाफ मोहन नगर पुलिस ने प्राथमिकी की है पुलिस को सदैह है कि किसी परिवार ने ही घर में चोरी की है। मालते के सुलझाने के लिए सदैहोंमें से पूर्वांचल जारी है पुलिस ने दर्हन नगर पूर्व निवासी सौरभ बोस के मामा सिंधिया नाम दुग्ध निवासी परिवर्त कुमार डे के घर पर चोरी हुई है। शिकायतकर्ता के मामा की तबीयत होने के कारण उन्हें एक सिंतंबर को सेक्टर-नौ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 12 सिंतंबर को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे बायपस अपने घर गए शिकायतकर्ता योंको बैंक सेंटर में प्रवान्धक हैं। उनके बायपस ने अपने पास बुक की एंट्री करवाने के लिए उन्हें दिया- था पासबुक की एंट्री करवाने पर खाते में से एक लाख 15 हजार रुपये कम मिले किसी ने एटीएम से उन्हें रुपये निकाले थे इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपने मामा को जानकारी दी घर की आलमारी में एटीएम कार्ड की तलाश करने पर उसमें से एटीएम कार्ड नहीं मिला किसी अज्ञात आरोपित ने घर से एटीएम कार्ड चुराकर लाख 15 हजार रुपये चोरी कर लिए थे मालते नगर पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी हुई।

सहायक व्यय प्रेषक एवं व्यय अनुवीक्षण समिति का प्रशिक्षण

महासमुद्र 14 अक्टूबर। विधानसभा निर्वाचन 2023 के प्रशिक्षण में जिले के चारों विधानसभाओं के लिए नियुक्त सहायक व्यय प्रेषक एवं व्यय अनुवीक्षण समिति का प्रशिक्षण आज कलेक्टर सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रभात मलिक ने कहा कि व्यय लेखा समिति का कार्य बहुत ही साधारणी से करना है। विभिन्न माध्यमों से जो भी सुचनाएं आप तक पहुंची उनका समय पर विधिवत् लेखांकन करना होगा। इस प्रशिक्षण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर एवं उप उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निर्मला ने भी सभी टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

जिला मास्टर ट्रेनर श्री तोषण गिरी गोस्वामी पॉवर पॉइंट प्रेजेंशन के माध्यम से बताया कि सहायक व्यय प्रेषक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए व्यय प्रेषक के निर्देशन में कार्य करता है। वही लेखा टीम द्वारा विभिन्न माध्यमों जैसे बीड़ियों निगरानी टीम, बीड़ियों अवलोकन टीम, एफएसटी, एफएसटी, एमसीएमसी आदि के द्वारा प्राप्त विवरण सभा के आधार पर प्रत्येक अधिकारी के लिए रखे गए व्यय प्रेषण रजिस्टर में व्ययों का लेखा किया जाएगा। नामांकन तिथि से मतदान दिवस तक कम से कम दो बार प्रत्येक अधिकारी को अपने व्यय रजिस्टर की जांच बिल वाडवर सहित लेखा टीम से कराना होगा तथा परिणाम घोषणा के 30 दिवस के अंदर सार संलग्नक के साथ अंतिम जाच के लिए उपस्थित होना होगा। छाया प्रेषण रजिस्टर में उम्मीदवारों द्वारा किए गए जनसभा, रेती, विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, बाहन आदि के समस्त व्ययों को विवरण जारी किया जाएगा। बीड़ियों निगरानी टीम द्वारा अधिकारीयों के द्वारा आयोजित सभा रैली आदि का बीड़ियों बनाया जाएगा। जिसे बीड़ियों अवलोकन टीम द्वारा सुक्ष्मता से जांच कर लेखा समिति के पास क्यू सेट भरकर जमा किया जाएगा।

राज सहायता बैंक मर्यादित (अपेक्ष बैंक) की भर्ती परीक्षा आगमी आदेश तक स्थगित

महासमुद्र 14 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा प्रविष्ट संचालक, छग, राज्य सहायता बैंक मर्यादित (अपेक्ष बैंक) द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर को दो पालियों में किया जाना था। राज्य में आदर्श आचार सहित व्योग के लिए के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ व्यावसायिक द्वारा इस परीक्षा के आयोजन के लिए निर्वाचन आयोग से कौशल विकास, तकनीकी विज्ञान एवं रोजगार विभाग के माध्यम से अनुमति मार्गे गई है।

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने रात्रि में चिल्फी बैरियर का किया औचक निरीक्षण



■ तरण छत्तीसगढ़ संवाददाता

पल्क ने कल रात चिल्फी बैरियर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर स्थितिक निगरानी दल इयूटी पर तैनात थे। कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि अच्युत राज्यों से आने-जाने वाले वाहनों को कडाई से जांच करें। साथ ही संदिध वाहनों की पड़ताल कर निगमनासार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने उच्च अधिकारीयों से पैनी नजर रखी हुई है। जिले के सीमावर्ती चेक पोस्ट के लिए अधिकारीयों पर कार्यवाही की टीम बनाई गई है। जो 24 घंटे तैनात होकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निर्मला ने भी सभी वाहनों को अवैध घोषित और पुलिस पर तैनात किया।

की मुस्तैदी से जांच करने और अवैध एवं संदिध परिवहन पर तकाल कार्यवाही करने के साथ अपने उच्च अधिकारीयों को सूचित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले के सभी चेकपोस्ट में टीम का संदिधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चेकपोस्ट में की जा रही कार्यवाही एवं गाड़ियों की जांच के लिए रजिस्टर पंजी संधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन का समय में अवैध शराब, राशि तथा अन्य सामग्रियों के परिवहन के मामले समाप्त न होते हैं। इस सभी पर बारीकी से नजर रखने और उन पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। उन्होंने बैंडी पर निगरानी के लिए पुलिस के साथ स्थैतिक टीम को संयुक्त रूप से समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने लगातार पूरी सघनता से जांच जारी रखने किया। पुलिस अधीक्षक डॉ अधिकारी पल्क ने कहा कि चेक पोस्ट के लिए बनाई गई स्थैतिक निगरानी टीम चैकरा रहत हुए हर गाड़ियों की जांच करें। रजिस्टर के लिए अवैध वाहनों को अवैध घोषित करें। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट में लगे सीरीजीवी कैप्रैकर अवलोकन भी किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम एवं रिट्रिनिंग ऑफिसर कवर्धा श्री पी सी कोरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आदर्श आचार संहिता का पालन कराने जुटे आयुक्त

एक हजार से ज्यादा बैनर पोस्टर हटाए, लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाईः आयुक्त आशीष



■ तरण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रिसली, 14 अक्टूबर। विधान सभा आम चुनाव में आचार संहिता का पालन कराने रिसली निगरानी नियम का अमल उठाने वाले चेक पोस्ट के लिए अवैध अधिकारीयों को आदर्श आचार संहिता के अनुरूप रखना चाहिए। शुक्रवार तक रिसली निगरानी के संबंधित वाहनों को अवैध घोषित करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निर्मला ने भी सभी वाहनों को अवैध घोषित किया।

विरुपण कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने चुनावी कार्य में लापरवाही बरतने पर सीधे निलंबन की चेतावनी दी। आदर्श आचार संहिता के तहत शुक्रवार तक रिसली निगरानी के संबंधित वाहनों को अवैध घोषित करें। उन्होंने चेक पोस्ट में लगे सीरीजीवी कैप्रैकर अवलोकन भी किया। विरुपण की कार्यवाही 1600 से भी अधिक की गई। दैवार लेखन को मिटाने 50 से भी अधिक पेटर की इयूटी लगाई गई है। वही दर्जन भर से अधिक कर्मचारियों की इयूटी निरीक्षण करने के लिए लगाया गई है। आयुक्त ने सभी कार्यवाही के लिए निर्देश दिए। उन्होंने लगातार पूरी सघनता से जांच जारी रखने किया। पुलिस अधीक्षक डॉ अधिकारी पल्क ने कहा कि चेक पोस्ट के लिए बनाई गई स्थैतिक निगरानी टीम चैकरा रहत हुए हर गाड़ियों की जांच करें। जांच करने के लिए अवैध वाहनों को अवैध घोषित करें। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट में लगे सीरीजीवी कैप्रैकर अवलोकन भी किया।

कार्य में रोडा लगाने पर एफआईआर

आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि निगरानी के अधिकारी कर्मचारी चुनाव के परिषेय में जारी गाइड लाइन पर कार्य करें। आप किसी तरीके तह का व्यवधान उपयोग होता है तो सीधे थाना जाकर रिकार्ड लगाने के लिए चेक पोस्ट के लिए रखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट में लगे सीधी कार्यवाही करेंगे।

कार्य में रोडा लगाने पर एफआईआर

आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि निगरानी के अधिकारी कर्मचारी कर्मचारी चुनाव के परिषेय में सीधे निलंबन की गयी। इस चालानी कर्मचारियों के लिए निर्देश दिए हैं कि आचार संहिताएँ से लगान द्वारा जारी रखना चाहिए। किसी भी तरह की साधारण चालान द्वारा जारी रखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने चेक पोस्ट में लगे सीरीजीवी कैप्रैकर अवलोकन भी किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम एवं रिट्रिनिंग ऑफिसर कवर्धा श्री पी सी कोरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मोटरायन अधिनियम के तहत 96 वाहनों पर की गई कार्रवाई

धमतरी 14 अक्टूबर

कलेक्टर श्री ब्रह्मराज खुर्बंशी के निर्देश और पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग द्वारा जिले के मोटर यानों से उत्पन्न वाहनों वाले धमतरी अधिकारी के लिए उपलब्ध लगातार कार्यवाही सुनिश्च

